

क्रमांक 22/38/2010-4प्रशिक्षण
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
प्रशिक्षण शाखा

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

1. हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त सचिव/ सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार।
3. सभी मण्डल आयुक्त, हरियाणा सरकार।
4. सभी उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त /उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।

विषय:- अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम/विचारगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं (भारत वर्ष के भीतर/बाहर) हेतु खर्च की सीमा बढ़ाने बारे।

....

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 4/38/2010-2प्रशिक्षण दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 की और दिलाऊँ तथा सूचित करूँ कि अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम/ विचारगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में (भारत वर्ष के भीतर/बाहर) भाग लेने के लिये भेजने हेतु निर्धारित खर्च की सीमा को बढ़ाने बारे मामला सरकार के विचारधीन था। विचारोपरान्त अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित वर्गों के अधिकारियों के मामले में प्रशिक्षण का कुल खर्च (अनिवार्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त) की सीमा को निम्नानुसार बढ़ाने बारे निर्णय लिया जाए:-

A)

Sr. No.	Category	Ceiling of Course fee (in Rs.)
1.	All India Service Officers, Administrative Secretaries & Head of Departments from other services	Rs. 3,00,000/-
2.	All other Class-1 Officers	Rs. 2,00,000/-
3.	All Group-B Officers	Rs. 1,00,000/-
4.	Other employees	Rs. 50,000/-

B) उपरोक्त पाठ्यक्रम शुल्क केवल भारत सरकार/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए उसी दर पर स्वीकृत किया जाना चाहिए जो उनके द्वारा सभी विदेशी और घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित है।

तदनुसार अनुरोध है कि भविष्य में अधिकारियों के आवेदन-पत्र अग्रेषित करते समय खर्च की उक्त सीमा को दृष्टिगत रखा जाये।

यह हिदायतें सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि के लिये सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लेने पर लागू होंगी तथा प्रशिक्षण पर खर्च की सीमा बढ़ाने बारे यह हिदायतें अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग की उनके अशा: क्रमांक 12/53/2022-1FGI/24575 दिनांक 01.12.2022 द्वारा प्रदान की गई सहमति उपरान्त जारी की गई हैं।

अधीक्षक, प्रशिक्षण

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

प्र० क्रमांक, 22/38/2010-4प्रशिक्षण

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 दिसम्बर, 2022

इसकी एक-एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग को उनके अशा: क्रमांक 12/53/2022-1FGI/24575 दिनांक 01.12.2022 के संदर्भ में।
2. अवर सचिव, सामान्य (लेखा शाखा)।

अधीक्षक, प्रशिक्षण

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

